न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/1818 दिनांक –12/05/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मूलाराम पुत्र जीवणाराम जाति मेघवाल निवासी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 देरामराम पुत्र कानाराम 2 सवाईराम पुत्र नरसींगाराम 3 गेमराराम पुत्र नीम्बाराम 4 फजला 5 भंवरा पिसरान हरचन्द 6 मुमलदेवी पत्नी नीम्बाराम 7 मोडाराम पुत्र हरचन्द 8 मोहनराम 9 हरजीराम पिसरान नीम्बाराम जाति मेघवाल 10 अगरसिंह 11 चादसिंह 12 भैरूसिंह 13 माधोसिंह 14 लक्ष्मणसिंह पिसरान हीरसिंह जाति पुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर 15 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 56/2023 दिनांक– 18/04/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा बालेरा, पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 376/40, 39, 64 रकबा क्रमशः 1.3759 हैक्टेयर, 3.8526 हैक्टेयर, 4.5729 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2023/1819–22 दिनांक–12/05/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मूलाराम पुत्र जीवणाराम जाति मेघवाल निवासी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी देरामराम पुत्र कानाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी बालेरा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर